भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2638

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वित्तीय सहायता

2638. **श्री कंवर सिंह तंवर:**
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईसीटीई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए उत्कृष्ट संस्थान (एलओई) योजना को लागू किया है;
(घ) यदि हां, तो एलओई योजना के अंतर्गत संस्थानों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ङ.) विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए चुने गए सार्वजनिक और निजी संस्थानों के नामों का ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त संस्थानों को प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जो तकनीकी संस्थानों को डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर

तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। एआईसीटीई के कामकाज और गतिविधियों को इसके आंतरिक राजस्व और शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा एआईसीटीई को प्रदान किए गए अनुदान सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्त वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
अनुदान सहायता (रुपए करोड़ में)	416	420	352.25

शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक और निजी श्रेणी से 10 उच्च शिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) का दर्जा देने और उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए विश्वस्तरीय संस्थान योजना प्रारंभ की है।

शैक्षणिक संस्थान को उत्कृष्ट संस्था का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदंड यूजीसी दिशानिर्देश/विनियम - 2017 में उल्लिखित हैं, जो http://ioe.ugc.ac.in/ पर उपलब्ध हैं।

इस योजना के अंतर्गत, आज की तिथि तक 12 उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को आईओई के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें सार्वजनिक श्रेणी के 08 संस्थान शामिल हैं, अर्थात् – आईआईटी, बॉम्बे, आईआईटी, दिल्ली, आईआईटी, मद्रास, आईआईटी, खड़गपुर, आईआईएससी, बैंगलोर, बीएचयू वाराणसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय और निजी श्रेणी के 04 संस्थान, अर्थात् – बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी हैं।

इस योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से अब तक 08 सार्वजनिक संस्थाओं के लिए 6198.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि अनुमोदित की गई है।

*****